

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई.33/ले.टे./1149/2018/२२६

दिनांक : 09/04/18

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/ले.टे./1149/2018/171 दिनांक 7.3.2018 में क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री वीरेन्द्र सिंह, लेब टेक्नीशियन जिनकी जन्म दिनांक 1.1.1959 है को दिनांक 30.12.2018 से सेवानिवृत्त किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वीरेन्द्र सिंह, लेब टेक्नीशियन की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.12.2018 के स्थान पर 31.12.2018 पढ़ी जावे।

आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई.33/ले.टे./1149/2018/२२६

दिनांक : 09/04/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर।
4. प्रगारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर